मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण पत्रक भाग-एक

गुरूवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2009 (कार्तिक 28, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. नेता प्रतिपक्ष के जन्मदिन पर शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यगण द्वारा श्रीमती जमुनादेवी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के जन्मदिन पर सदन की ओर से शुभकामनाएं दी गई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 63 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 85 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(प्रश्न संख्या 4 (*क्रमांक 576) पर चर्चा के पश्चात्, श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर, गर्भगृह में आकर नारेबाजी की गई तथा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर की कराहल तहसील में कम वोल्टेज की विद्युत प्रदाय की जाने,

(2) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य ने सुवासरा (मंदसौर) में ट्रांसफार्मर जलने से सिंचाई प्रभावित होने,

(3) श्री सुदामा सिंह, सदस्य ने पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) में भवनों का निर्माण पूरा न होने,

(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर के ग्राम पनवाड़ी में कृषकों की भूमि का मुआवजा न देने,

(5) श्रीमती सुलोचना रावत, सदस्य ने अलीराजपुर जिला चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव तथा

(6) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य ने डिण्डोरी जिले में संचालित छात्रावास में अनियमितता होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा ने -

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(1) क्रमांक 1776-म.प्र.वि.नि.2009, दिनांक 20 अगस्त, 2009,

(2) क्रमांक 1783-म.प्र.वि.नि./ 2009, दिनांक 21 अगस्त, 2009,

(3) क्रमांक 1053-म.प्र.वि.नि.आ / 2009, दिनांक 26 मई, 2009 शुद्धि पत्र,

(4) क्रमांक 1853-म.प्र.वि.नि.आ / 2009, दिनांक 29 अगस्त, 2009,

(5) क्रमांक 1902-म.प्र.वि.नि.आ / 2009, दिनांक 2 सितम्बर, 2009,

(6) क्रमांक 2036-म.प्र.वि.नि.आ / 2009, दिनांक 18 सितम्बर, 2009,

(7) क्रमांक 2098-म.प्र.वि.नि.आ / 2009, दिनांक 25 सितम्बर, 2009; तथा

(8) क्रमांक 2099-म.प्र.वि.नि.आ / 2009, दिनांक 25 सितम्बर, 2009 शुद्धि पत्र; एवं

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2008-2009,

पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर ध्यान आकर्षण की चार सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री शिवनारायण मीना एवं श्री हेमराज सिंह कल्पोनी, सदस्यगण ने राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत किये जा रहे कार्यों में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री रत्नेश सॉलोमन, ध्रुवनारायण सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण ने प्रदेश के अनेक शिक्षकों की पदस्थापना प्रतिनियुक्ति पर होने से शिक्षण कार्य प्रभावित होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नानाभाऊ मोहोड़, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य ने शिवपुरी जिले में राजघाट नहर के टूटने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(4) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य ने मंदसौर जिले में सूखे से प्रभावित कृषकों की क्षति का उचित सर्वे न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री शिवनारायण जागीरदार, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले के -

(क) ग्राम वर्डिया की शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किये जाने,
(ख) नगर के वार्ड नं. 4 मालवा नगर में सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण किये जाने,
(ग) नगर के वार्ड नं. 2 मालवा नगर में सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण किये जाने,
(घ) जावरा शहर के वार्ड नं. 17 पिंजारवाडी में सीमेंट कांक्रीट की नाली व सड़क निर्माण किये जाने,
(ङ) जावरा शहर के वार्ड नं. 30 तिलक नगर की रोड एवं नालियां सीमेंट कांक्रीट से निर्माण किये जाने,
(च) नगर की अलकापुरी कालोनी की सीवर लाइन बदले जाने,
(छ) नगर की रत्नपुरी कालोनी का मार्ग पुनर्निर्माण किये जाने, तथा
(ज) नगर की अलकापुरी कालोनी में दो लाख गैलन पानी की टंकी व सम्पवेल लगाये जाने,

(2) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

(क) तहसील नरवर के ग्राम सीहोर मेंस स्टेण्ड से महीप सिंह के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम सीहोर में प्राथमिक कन्या विद्यालय खोले जाने,

(ग) ग्राम क्रांकर में काली माता के मंदिर के पास नहर में पुलिया निर्माण किये जाने, तथा

(घ) ग्राम-उकाबला के नाहरपुरा में पुलिया पर रपटा निर्माण किये जाने,

(3) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य की पन्ना जिले के -

(क) नगर में एक कृषि महाविद्यालय खोले जाने, तथा

(ख) नगर की जिला चिकित्सालय में रिक्त चिकित्सकों के पदों की शीघ्र पदपूर्ति किये जाने,

(4) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य की सतना जिले के -

(क) अमरपाटन तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ई.एन.टी. के डॉक्टर का पद स्वीकृत तथा हड्डी रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना किये जाने,

(ख) अमरपाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शल्य चिकित्सक (सर्जन) की पदस्थापना किये जाने,

(ग) अमरपाटन तहसील के न्यायालय परिसर में/अस्पताल परिसर तथा सतना रोड चौराहे पर सुलभ काम्पलेक्स निर्माण किये जाने,

(घ) अमरपाटन तहसील के ग्राम पठरा से ग्राम सेंदुरा तक पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने,

(ङ) अमरपाटन तहसील के उत्कृष्ट उच्चतर माद्यमिक विद्यालय एवं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी व्याख्याता की पदस्थापना किये जाने, तथा

(च) रामनगर तहसील की पेयजल समस्या निदान किये जाने,

(5) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की दमोह जिले के -

(क) तहसील हटा के ग्राम-गाता की प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में उन्नयन किये जाने, तथा

(ख) तहसील-हटा के ग्राम-रनेह में जल प्रदाय योजना अंतर्गत फिल्टर प्लांट भवन निर्माण करने,

(6) श्री गिरीश गौतम, सदस्य की रीवा जिले के -

(क) नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम-डिहिया पडान की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ख) नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम जोरौट की शा.पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(ग) नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम पूरवा की शा.पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(घ) नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम शिवराजपुर की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ङ) नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम माडौ की शा.पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(च) नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम जुडमनिया रघुनाथ की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(छ) नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम फूल की शा. पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(ज) गंगेव विकासखण्ड के ग्राम दादर की शा. पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(झ) गंगेव विकासखण्ड के ग्राम बेलवा की शा. पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(ञ) मऊगंज विकासखण्ड के ग्राम अमोखर की शा. पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा

(ट) मऊगंज विकासखण्ड के ग्राम पन्नी की शा. पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(7) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के नागदा तहसील को विकासखण्ड का दर्जा दिलाये जाने, संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

8. वक्तव्य

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने दिनांक 22 फरवरी, 2005 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 1353) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 19 सन् 2009) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 22 सन् 2009) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

. (3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 24 सन् 2009) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 25 सन् 2009) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(5) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 20 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 20 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(6) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 21 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री पारस दादा
(2) श्री रामनिवास रावत
(3) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 21 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(अपराह्न 12.55 बजे से 2.36 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री भगवान सिंह, सुखदेव पांसे, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, शिवनारायण मीना तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण द्वारा उठाई गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री आरिफ अकील
(3) श्री रामनिवास रावत
(4) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(5) श्री शंकरलाल तिवारी

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(6) श्री लक्ष्मण तिवारी
(7) श्री मनीराम धाकड़
(8) डॉ. कल्पना परुलेकर
(9) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(10) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(11) श्री गिरिराज किशोर (राजू) पोद्दार
(12) श्री यादवेन्द्र सिंह
(13) श्री अजय यादव
(14) श्री ताराचंद बावरिया

11. सदन के समय में वृद्धि

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय (कानून व्यवस्था की स्थिति) पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

12. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

(15) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू"
(16) श्री केदारनाथ शुक्ला
(17) श्री जेवियर मेड़ा
(18) श्री विश्वामित्र पाठक
(19) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी
(20) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(21) कुंवर सिंह टेकाम
(22) श्री बाला बच्चन
(23) श्री पारस दादा
(24) श्री दिलीप जायसवाल
(25) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(26) श्री प्रियव्रत सिंह
(27) श्री रामलाल मालवीय
(28) श्री सुदामा सिंह
(29) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(30) श्री राधेश्याम पाटीदार
(31) श्री बृजमोहन धूत
(32) श्री अभय कुमार मिश्रा
(33) श्रीमती सुलोचना रावत
(34) श्री शंकरलाल तिवारी

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 6.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2009 (कार्तिक 29, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.